



रा०८०१० माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म०५०) के सम्बन्ध

R - २४०९ - PBR/14

बनालाल पिता रामकिशन

उम्र ६५ साल, धन्धा खेती

निवासी ग्राम माचल, तहसील देपालपुर,

जिला हन्दौर

-- प्राथी

470  
RBR/14

विराद्ध

१- परमानन्द पिता रामकिशन

उम्र ७५ वर्ष, धन्धा बुद्धावस्था

निवासी ग्राम माचल, तहसील देपालपुर

जिला हन्दौर

श्री लोकेश्वर कुमार (ग्रामकुमार)  
प्राथी अभिभावक द्वारा दिनांक ३१/११/११

8  
द्वारा दिनांक

२- पन्नालाल पिता रामकिशन

उम्र ७० वर्ष, धन्धा बुद्धावस्था

निवासी ग्राम माचल, तहसील देपालपुर

जिला हन्दौर

RBR/14 १३/८/१५  
द्वारा दिनांक १३/८/१५

८/१५

३- श्रीमती कान्ता परति स्व० श्री बोप्पुकाश

बगवाल, निवासी ६६, मल्हारगंज मैनरोड

हन्दौर

४- श्री नन्दकिशौर पिता श्री भूरालालजी

बगवाल १८/११/२०१४ नम्बर ५५४५४८

५- पटवारी, ग्राम माचल हल्का नं०

तहसील देपालपुर, जिला हन्दौर

-- प्रतिप्राथी

निगरानी धारा ५० मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता के अन्तर्गत

विठ्ठान अतिरिक्त तहसीलदार, टप्पा बेटमा, तहसील

देपालपुर, जिला हन्दौर छारा नामान्तरण प्रकरणा नं० /अ-६/

२०१२-१३ बादेश दिनांक ०६/०५/२०१४ से बसन्तुष्ट हो यह निगरानी  
निम्न एवं अन्य आधारों पर सादर प्रस्तुत है :-

सुंचापत तथ्य

-- श्री लोकेश्वर कुमार (ग्रामकुमार) का १-२ से मार्ह होकर

10/11/14

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग. 2809—पीबीआर / 2014

जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-11-2015	<p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया था। अतिरिक्त तहसीलदार टप्पा बेटमा तहसील देपालपुर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9-5-2014 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष के साथ कि आपत्तिकर्ता रिकार्ड भूमिस्वामी नहीं है, इसलिये वह हितबद्ध पक्षकार नहीं है, आवेदक का व्यवहार प्रक्रिया साँहिता के आदेश 7 नियम 10 का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जिसमें प्रथमदृष्ट्या कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। फलस्वरूप यह निगरानी बलहीन एवं आधारहीन होने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है।</p> <p><i>(०१२)</i></p> <p style="text-align: right;"><i>(मनोज गायल)</i> अध्यक्ष</p>	